

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पोस्ट बॉक्स नं. 11500, मुम्बई-400 020

सं. 28(19)/2007-एम एस/

दिनांक-04 /04/07

परिपत्र सं. 1
(2007-2008 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो)

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो) को 31/03/2007 के बाद भी चालू रखा गया है । परन्तु इसमें आवश्यक संशोधन किये जाने हैं । योजना में संशोधन की प्रक्रिया जारी है । इसके लिए अंशधारकों से विचार-विमर्श किया जा रहा है । इसके मद्देनजर सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत किसी नये ऋण की मंजूरी पर दिनांक 01/04/2007 से रोक लगा दी है और ऋण मंजूरी इस योजना में किए जाने वाले संशोधनों के निर्धारण तक तथा इस बारे में दिशा-निर्देश जारी होने तक स्थगित रहेगी । सभी नोडल एजेंसियों/नोडल बैंकों/सहयोजित पी एल आई यों से अनुरोध है कि वे सरकार द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय का ध्यान रखें ।

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

प्रति :-

1. सभी राज्यों के सचिव (वस्त्र)
2. आईडीबीआई एवं सिडबी के सभी प्रा.ऋ.संस्थान
3. सभी मुख्य वस्त्रोद्योग संघ/व्यापार संघ/अखिल भारतीय उद्योग संघ/वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
4. वस्त्र आयुक्त के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी
5. सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई
6. सभी विद्युत करघा सेवा केंद्रों के प्रभारी अधिकारी
7. सभी वस्त्र अनुसंधान संघों के निदेशक
8. सभी ई.पी.सी. के कार्यकारी निदेशक
9. विकास आयुक्त (हथकरघा)
10. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
11. पटसन आयुक्त
12. सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड
13. महानिदेशक, एनआईएफटी
14. प्रमुख वृत्त अभिकरण

उपरोक्त संदेश को समाचार पत्रों/आवधिकों/पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित/समावेश करके प्रौ.उ.नि. योजना में किए गए संशोधनों/आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के अनुरोध के साथ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचना हेतु :-

1. आईएम.एस.सी. एवं टी.ए.एम.सी. के सभी सदस्य
2. श्री सुदृप्तों रॉय, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.
3. श्री मनीष गुप्ता, निदेशक, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.
4. श्री विजय कुमार, अनुभाग अधिकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त